

:: आदेश ::

राज्य हित में निम्नलिखित प्राध्यापक (स्कूल विभाग)का स्थानान्तरण स्वैच्छिक/प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम कार्मिक        | पदनाम                    | वर्तमान पदस्थापन स्थान                                   | नवीन पदस्थापन स्थान                               | विशेष विवरण      |
|----------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1.       | काना राम जाट       | प्राध्यापक<br>(व्याकरण)  | स्थानान्तरणाधीन राज. वरि.उपा.सं.वि.,ओडवाड़ा जालोर        | राज.वरि.उपा.सं.वि., सारंगपुरा बडके बालाजी - जयपुर | रिक्त पद पर      |
| 2.       | कमल किशोर शर्मा    | प्राध्यापक<br>(हिन्दी)   | स्थानान्तरणाधीन राज. वरि.उपा.सं.वि.,बाँली - सवाई माधोपुर | राज.वरि.उपा.सं.वि., सैदपुरा - भरतपुर              | रिक्त पद पर      |
| 3.       | गिरिजा शंकर तिवारी | प्राध्यापक<br>(अंग्रेजी) | राज.वरि.उपा.सं.वि., शेरगढ़- जोधपुर                       | राज.वरि.उपा.सं.वि., मोगास - नागौर                 | रिक्त पद पर      |
| 4.       | कैलाश चन्द शर्मा   | प्राध्यापक<br>(यजुर्वेद) | राज.वरि.उपा.सं.वि., नाथद्वारा राजसमन्द                   | राज.वरि.उपा.सं.वि., नीमकाथाना, सीकर               | साहित्य के पद पर |

नोट :- स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा।निर्वाचन कार्यों में कर्तव्यारूढ़ कार्मिकों के संबंध में कार्यमुक्ति सूक्ष्म स्वीकृति के पश्चात् की जावें।

(हरजी लाल अटल) 08.03  
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
5. संबंधित संस्था प्रधान।
6. संबंधित संकुल प्रभारी।
7. संबंधित शिक्षक।
8. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. व्यक्तिगत/संरक्षण पंजिका।

निदेशक 08.03  
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर